

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 996 (अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पांडिचेरी तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

1. सचिव,	—अध्यक्ष
पर्यावरण विभाग, पांडिचेरी	
2. निदेशक,	—सदस्य
फिशरीज विभाग, पांडिचेरी	
3. मुख्य नगर योजनाकार नगर और देशीय योजना विभाग, पांडिचेरी	—सदस्य
4. डा. आर. महादेवन, राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	—सदस्य
5. डा. आर. एल. कानन, निदेशक, सेन्ट्रल फार एडवांस स्टडीज इन मैरीन बाइलोजी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	—सदस्य
6. सदस्य सचिव, पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, पांडिचेरी।	सदस्य सचिव
II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—	

- (i) तटीय विनियमन जौन क्षेत्रों और पांडिचेरी प्रशासन से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सी ज़ेड एम पी) में वर्गीकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना;
- (ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के क्रियत उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण

द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को निदेशित करना;

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और

(ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा 11 के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जौन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे पांडिचेरी प्रशासन, राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण तटीय विनियमन जौन में परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन। अपक्षय के लिए अतिसुमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण तटीय विनियमन जौन में आर्थिकरूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जौन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो पांडिचेरी के अनुमोदित तटीय जौन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।

IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कैन्ट्रीय सरकार के पर्यावरणीय और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XI. प्राधिकरण, का मुख्यालय पांडिचेरी में स्थित होगा।

XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भौतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई ए-मा.]

के. रौय पौल, अपर सचिव